भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2612

उत्तर देने की तारीख 09/03/2026

आईआईटी/एचईआई में छात्रों द्वारा आत्महत्या

†2612. **श्री सेल्वाराज वी.:**

श्री सुब्बारायण के.:

प्रो. सौगत राय:

एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में दर्ज छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामलों का आईआईटी-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से अवगत है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों की मृत्यु के कारणों की जांच की है, जिसमें पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या का दबाव, वित्तीय, सामाजिक या संस्थागत कारक शामिल हैं, जो छात्रों की परेशानी में योगदान करते हैं और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए किसी भी राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;
(घ) सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें कैम्पस में परामर्श प्रणाली, शिकायत निवारण तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करना शामिल है; और
(ङ) क्या सरकार का छात्रों की परेशानी को कम करने के लिए उपस्थिति, मूल्यांकन और शैक्षणिक दबाव से संबंधित संस्थागत नीतियों की समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**डॉ. सुकान्त मजूमदार**)

(क) से (ङ): देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याओं से संबंधित डेटा का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में वार्षिक आकस्मिक

मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। छात्र आत्महत्याओं का वर्ष वार और राज्य वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है, जो https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर उपलब्ध है।

जहां तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) का संबंध है, इन संस्थानों ने छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए बहु-आयामी उपाय किए हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन जो प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है; और सभी हितधारकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' और वेबिनार 'परिचर्चा' नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण भी शुरू किया है ताकि संकाय को प्रारंभिक कार्यकलाप के लिए विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति के संबंध में दिनांक 06.01.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्शिका जारी की गई है। यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को एचईआई में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों की भावनात्मक और मानसिक हित के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी परिचालित की है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए खेल, योग, ध्यान आदि पर बल दिया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थान वर्ष भर चलने वाले योग कार्यक्रम कैलेंडर, योग पर समर्पित पाठ्यक्रम आदि शुरू करके परिसर में शैक्षणिक जीवन में योग के एकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.03.2025 के आदेश के अनुसरण में अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में वर्ष 2025 की आपराधिक अपील संख्या 1425 में, छात्रों द्वारा आत्महत्या के प्रमुख कारणों की पहचान करने, मौजूदा नियमों के विश्लेषण और छात्रों

की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिफ़ारिशें करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस रवींद्र भट्ट, पूर्व न्यायाधीश, एससीआई की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने स्वयंसेवी कार्यक्रमों, छात्र परामर्श/प्रशिक्षण सत्रों और शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छात्र कल्याण केन्द्रों (एसडब्ल्यूसी) की स्थापना की है। व्यावसायिक ऑनलाइन परामर्श प्लेटफार्मों का उपयोग करने के अलावा, आईआईटी छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं, मनोचिकित्सकों और मनोमिति विशेषज्ञों सहित मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिक को भी नियुक्त करते हैं।

*****